संख्या-151/2022/1356/22-2-2022-17(396)/2022

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 20 सितम्बर, 2022

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अरविन्द गौड पुत्र श्री रवीन्द्र गौड, निवासी जनपद-बलिया की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14659/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-12-04-2022) दिनांक-06-05-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अरविन्द गौड पुत्र श्री रवीन्द्र गौड, जो उससा, थाना-पकडी, जनपद-बलिया का रहने वाला है। बन्दी का ग्राम समाज की भूमि के कब्जे को लेकर आपसी विवाद था। इस जमीनी विवाद की रंजिश में दिनांक 01.01.2006 को 22 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी के घर में आग लगा दिया और भागने पर दौड़ाकर लाठी, डण्डो से पीट कर 01 व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-167/2006 में भा0द0वि0 की धारा-147, 436, 323, 307, 302, 506 के अन्तर्गत मा0 विशेष/अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-07, बलिया के आदेश दिनांक 22.12.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 14.12.2021 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 23.02.2022 तक 16 वर्ष 00 माह 27 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 01 माह 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, बलिया की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति ने बंदी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में पुन: अपराध करने से इंकार नहीं किया जा सकने, जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है।

बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी का ग्राम समाज की भूमि के कब्जे को लेकर आपसी विवाद था। इस जमीनी विवाद की रंजिश में दिनांक 01.01.2006 को 22 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी के घर में आग लगा दिया और भागने पर दौड़ाकर लाठी, डण्डो से पीट कर 01 व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

का अपराध समाज को प्रभावित करने, जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, आयु, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अरविन्द गौड पुत्र श्री रवीन्द्र गौड को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0मि0) संख्या-1222/2022 अरविन्द गौड़ बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.02.2022 के अनुपालन में तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी अरविन्द गौड (बन्दी संख्या-1475/2008) पुत्र श्री रवीन्द्र गौड, निवासी जनपद-बलिया के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-151/2022/1356(1)/22-2-2022 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बलिया।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-151/2022/1356/22-2-2022-17(396)/2022

दिनांक 20 सितम्बर, 2022 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अरविन्द गौड पुत्र श्री रवीन्द्र गौड, जो उससा, थाना-पकडी, जनपद-बलिया का रहने वाला है। बन्दी का ग्राम समाज की भूमि के कब्जे को लेकर आपसी विवाद था। इस जमीनी विवाद की रंजिश में दिनांक 01.01.2006 को 22 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी के घर में आग लगा दिया और भागने पर दौड़ाकर लाठी, डण्डो से पीट कर 01 व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-167/2006 में भा0द0वि0 की धारा-147, 436, 323, 307, 302, 506 के अन्तर्गत मा0 विशेष/अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-07, बलिया के आदेश दिनांक 22.12.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 14.12.2021 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 23.02.2022 तक 16 वर्ष 00 माह 27 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 01 माह 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, बलिया की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति ने बंदी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में पुन: अपराध करने से इंकार नहीं किया जा सकने, जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है।

बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी का ग्राम समाज की भूमि के कब्जे को लेकर आपसी विवाद था। इस जमीनी विवाद की रंजिश में दिनांक 01.01.2006 को 22 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी के घर में आग लगा दिया और भागने पर दौड़ाकर लाठी, डण्डो से पीट कर 01 व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, आयु, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अरविन्द गौड पुत्र श्री रवीन्द्र गौड को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कृष्ण कुमार सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।